राष्ट्रीय सहारा
सच कहने की हिम्मत
राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
कानपुर • देहरादून • वाराणसी से प्रकाशित
नई दिल्ली। शुक्रवार • 5 फरवरी • 2016

मैनेजमेंट कोटा बहाल होने से स्कूलों को राहत

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट कोटे को दिल्ली सरकार द्वारा खत्म किये जाने के आदेश को उच्च न्यायालय के रद्द करने के बाद स्कूलों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

■ निजी स्कूलों की स्वायत्तता का सम्मान करे सरकार : नीसा

स्कूलों को इस बात की खुशी है कि कम से कम उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखा गया है।

पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्राचार्य रूपा पाठक ने अदालत के फैसले को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूलों की स्वायत्ता बरकरार हो गई और यह राहत की बात है। बजट प्राइवेट स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नीसा (नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस) ने बयान जारी किया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के दौरान मैनेजमेंट कोटा की बहाली के आदेश का यह स्वागत करती है। ऐसा लगातार दूसरी बार है जब हाईकोर्ट ने दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर मुहर लगाई है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि अदालत के आदेशानुसार वह निजी स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। सरकार से अनुरोध है कि वह निजी स्कूलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की बजाए सरकारी स्कूलों में शिक्षण प्रशिक्षण की स्थिति में सुधार करे।